Number of Programme in which Choice Based Credit System (CBCS)/ elective course system has been implemented

INDEX

S.No	Content	Page No
1	List of Program	1
2	Affiliation latter	2-12

1.2.1 Number of Programmes in which Choice Based Credit System (CBCS)/ elective course system has been implemented					
Programme Code	**Programme name**	**Year of Introduction**	**Status of implemetation of CBCS / elective course system (Yes/No)**	**Year of implemetation of CBCS / elective course system**	**Link to the relevant document**
C028	B.A	C028	YES	2020-21	
C028	B.A (COMPUTER APPLICATION)	C028	YES	2020-21	
C032	B.Com	C032	YES	2020-21	
C198	B.Com (COMPUTER APPLICATION)	C198	YES	2020-21	
C116	B.Sc (MATHS GROUP)	C116	YES	2020-21	
C085	B.Sc (BIOLOGY GROUP)	C085	YES	2020-21	
C137	B.Sc (COMPUTER SCIENCE GROUP)	C137	YES	2020-21	
C030	B.C.A	C030	YES	2020-21	
C029	B.B.A	C029	YES	2020-21	
C018	M.A(POLITICAL SCIENCE)	2002	NO	2002	
C026	M.A(SOCIOLOGY)	2005	NO	2005	
C005	M.A(ECONOMICS)	2002	NO	2002	
C031	M.Com	2002	NO	2002	
C046	M.Sc(COMPUTER SCIENCE)	2008	NO	2008	

/बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल/

क्रमांक 676 /अकादमी/सम्बद्धता/२०००   भोपाल, दिनांक 16/11/2000

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय
टिमरनी, म.प्र.

विषय- सत्र १९९९-२००० में स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक ।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र क्रमांक ५६६ /२००० दिनांक १३.४.२०००के संदर्भ में विश्वविद्यालय की विद्धवत परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ३१.७.२००० में लिये गये निर्णयानुसार कुलपतिजी द्वारा कार्य परिषद की ओर से पूर्व में जारी किये गये पत्र क्रमांक ९९१ /अकादमी/सम्बद्धता/९९ दिनांक ११.११.९९ में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न पाठ्यक्रमों में सत्र १९९९-२००० से स्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है ।

१- बी.ए. - हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, आधार पाठ्यक्रम
२- बी.काम. - सभी अनिवार्य विषय
३- बी.एस.सी.- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, आधार पाठ्यक्रम

भवदीय

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ.क्रमांक——/अकादमी/सम्बद्धता/२०००   भोपाल, दिनांक ——

प्रतिलिपि-

१- डी.सी.डी.सी., बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
२- अतिरिक्त संचालक आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल
३- सचिव, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली
४- कुलपतिजी के सचिव की ओर सूचनार्थ ।

उपकुलसचिव, अकादमी
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

रसानी
शास. ... महाविद्यालय
टिमरनी

Principal
Govt. Degree College
TIMARNI (HARDA) M.P.

PRINCIPAL
Govt. Degree College
Timarni (HARDA)

PDF SIGNER DEMO VERSION

Signature valid JINENDRA KUMAR JAIN

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल

क्रमांक 1016 /अका./सम्बद्धता/02 भोपाल,दिनांक 9/1/03

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
टिमरनी।

विषय :– सत्र 2002 – 2003 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विषयक।

महोदय,

अतिरिक्त संचालक,आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 575 दिनांक 12–7–2002 द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर विद्वत परिषद की स्थायीं समिति की बैठक दिनांक 28–9–2002 में लिये गये निर्णयानुसार एवं स्थायी समिति के कार्यवृत्त,कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 3–10–02 में अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय को निम्न पाठ्यक्रमों में :–

1– बी.एस.सी. भाग एक – कम्प्यूटर साइंस
2– एम.कॉम.पूर्वार्द्ध
3– बी.कॉम.भाग एक – कम्प्यूटर एप्लीकेशन (30 छात्र संख्या)
4– एम.ए.पूर्वार्द्ध – अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र

में अस्थाई सम्बद्धता सत्र 2002–2003 हेतु निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है।

शर्ते :–

(1) आपको अस्थाई सम्बद्धता आगामी सत्र 2003–2004 के लिये उच्च शिक्षा विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र (भाग दो,तीन के लिये)के साथ निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा।
(2) आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 का पालन करना होगा।
(3) आपको विषय से संबंधित योग्य शिक्षकों की नियमित नियुक्ति महाविद्यालय कोड 28 के प्रावधान अन्तर्गत चयन समिति द्वारा शीघ्र करनी होगी।
(4) आपको संबंधित विषयों के पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकों की व्यवस्था करनी होगी।
(5) आपको शासी निकाय की नियमित बैठकों का आयोजन विवरण,विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
(6) महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
(7) अतिरिक्त संचालक,आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा निर्धारित शर्तो की भी प्रतिपूर्ती करना होगी।
(8) तकनीकी/चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आपको भाग–2 एवं 3 हेतु शिक्षा विभाग के साथ साथ तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा विभाग की भी अनुमति लेना होगी।
(9) उपरोक्त शर्ते पूर्ण न होने पर सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
(10) बॉर कौंसिल ऑफ इंडिया के मापदण्डो का पालन करना होगा।

आदेशानुसार,

उप–कुलसचिव(अकादमी)

पृ0 क्रमांक 1017 / अकादमी/सम्बद्धता 2002 भोपाल,दिनांक 9/1/03

प्रतिलिपि :–

1– अतिरिक्त संचालक,आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग,सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2– उप–कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय) शाखा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल।
3– संचालक,शारी.शिक्षा,अधि.छा.क.,समन्वयक,रा.से.यो.,कुलपति/कुलसचिव के सचिव बरकतउल्ला वि.वि.भोपाल।
4– आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग,सतपुडा भवन, भोपाल।

सहायक कुलसचिव(अकादमी)

Principal
Govt. Degree College
TIMARNI (HARDA) M. P.

PRINCIPAL
Govt. Degree
Timarni (HARDA)

Signature valid
JINENDRA KUMAR JAIN

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

जावक क्र. 930 दि. 25/8/08

क्रमांक 1283 [illegible]/अका./संब./2008

भोपाल, दिनांक : 11-8-08

930 dt 25/8/08

प्रति,

प्राचार्य,

शा. महाविद्यालय
टिमरनी जिला हरदा

विषय :- सत्र 2008-09 में अस्थाई संबंद्धता नवीन महाविद्यालय/नवीन संकाय, में प्रदान करने विषयक।

महोदय,

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 625 दिनांक 16-7-08 द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विद्वत परिषद की अस्थाई समिति की बैठक दिनांक 11/08/08 में की गई अनुशंसा एवं कार्य परिषद की ओर से कुलपति को प्रदत्त शक्तियों 15(4) के तहत अस्थाई संबंद्धता निम्न पाठ्यक्रम में प्रदान की जाती है।

1. M.A. Pt- Sociology.
2. M.Sc. Pt- Computer Sci.
3. B.C.A. I 30 Seats.
4.
5.

शर्तें

1. आपको आगामी सत्र में अस्थाई संबंद्धता/निरन्तरता प्रदान हेतु उच्च शिक्षा विभाग के अनुमति पत्र के साथ निर्धारित आवेदन एवं शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा।
2. विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 का अध्यादेश: 5, 6 एवं 7 का पालन करना होगा जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते है।
3. आपको कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य एवं शिक्षक की नियुक्ति 30 अक्टूबर 2008 तक आवश्यक रूप से करनी होगी।
4. महाविद्यालय के आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।
5. आपको शासी निकाय, निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन कर विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
6. उपरोक्त शर्तो की पूर्ति न होने पर आपके महाविद्यालय के प्रदत्त अस्थाई संबंद्धता स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
7. उपर्युक्त संबंद्धता/नियमितता/ नये पाठ्यक्रम/विषय/सीट वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 6113 दिनांक 31.07.08 में पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश विधिवत् संबंद्धता प्राप्त होने के बाद ही दिया जा सकेगा। इसके प्रकाश में ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

आदेशानुसार

उपकुलसचिव अकादमी
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ. क्र. 1284/अकादमी/2008

भोपाल, दिनांक : 11-8-08

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. सचिव क्षेत्रीय संचालक एन.सी.टी.ई. श्यामला हिल्स, भोपाल।
4. उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा शाखा की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक/संचालक, शारीरिक शिक्षा/अधिष्ठाता छात्र कल्याण की ओर सूचनार्थ।

सहा. कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

PRINCIPAL
Govt. Degree College
Timarni (HARDA)

Signature valid JINENDRA KUMAR JAIN

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल

क्रमांक 1016 /अका./सम्बद्धता/02 भोपाल,दिनांक 9/1/03

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
टिमरनी ।

विषय :– सत्र 2002 – 2003 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विषयक ।

महोदय,

अतिरिक्त संचालक,आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 575 दिनांक 12–7–2002 द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर विद्वत परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28–9–2002 में लिये गये निर्णयानुसार एवं स्थायी समिति के कार्यवृत्त,कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 3–10–02 में अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय को निम्न पाठ्यक्रमों में :–

1– बी.एस.सी. भाग एक – कम्प्यूटर साइंस
2– एम.कॉम.पूर्वार्द्ध
3– बी.कॉम.भाग एक – कम्प्यूटर एप्लीकेशन (30 छात्र संख्या)
4– एम.ए.पूर्वार्द्ध – अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र

में अस्थाई सम्बद्धता सत्र 2002–2003 हेतु निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

शर्तें :–

(1) आपको अस्थाई सम्बद्धता आगामी सत्र 2003–2004 के लिये उच्च शिक्षा विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र (भाग दो,तीन के लिये)के साथ निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा ।
(2) आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 का पालन करना होगा ।
(3) आपको विषय से संबंधित योग्य शिक्षकों की नियमित नियुक्ति महाविद्यालय कोड 28 के प्रावधान अन्तर्गत चयन समिति द्वारा शीघ्र करनी होगी ।
(4) आपको संबंधित विषयों के पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकों की व्यवस्था करनी होगी ।
(5) आपको शासी निकाय की नियमित बैठकों का आयोजन विवरण,विश्वविद्यालय को भेजना होगा ।
(6) महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा ।
(7) अतिरिक्त संचालक,आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा निर्धारित शर्तों की भी प्रतिपूर्ती करना होगी ।
(8) तकनीकी/चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आपको भाग–2 एवं 3 हेतु शिक्षा विभाग के साथ साथ तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा विभाग की भी अनुमति लेना होगी ।
(9) उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी ।
(10) बॉर कौंसिल ऑफ इंडिया के मापदण्डों का पालन करना होगा ।

आदेशानुसार,

उप–कुलसचिव(अकादमी)

पृ0 क्रमांक 1017 / अकादमी/सम्बद्धता 2002 भोपाल,दिनांक 9/1/03

प्रतिलिपि :–

1– अतिरिक्त संचालक,आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग,सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
2– उप–कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय) शाखा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल ।
3– संचालक,शारी.शिक्षा,अधि.छा.क.,समन्वयकरा.से.यो.,कुलपति/कुलसचिव के सचिव बरकतउल्ला वि.वि.भोपाल ।
4– आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग,सतपुड़ा भवन, भोपाल ।

सहायक कुलसचिव(अकादमी)

Principal
Govt. Degree College
TIMARNI (HARDA) M. P.

PRINCIPAL
Govt. Degree College
Timarni (HARDA)

Signature valid JINENDRA KUMAR JAIN

शास. स्नातक महाविद्यालय
टिमरनी (हरदा)
क्रमांक 929 दि. 25/8/08

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल

क्रमांक 1293 /अका./सम्बद्धता/08 भोपाल,दिनांक: 11/8/08

प्रति,

प्राचार्य,
शा0 महाविद्यालय,टिमरनी,
जिला–हरदा.

विषय :–सत्र 2007– 2008 हेतु कार्योत्तर अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक ।

महोदय,

उच्च शिक्षा विभाग, के पत्र क्रमांक 949/978, दिनांक 26.06.07 द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विद्वत परिषद की स्थायी समिति की बैठक 05.05.08 में की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.05.08 एवं 30.06.08 में अनुमोदनो उपरान्त आपके महाविद्यालय को निम्नांकित पाठ्यक्रम में

1. बी.सी.ए प्रथम — छात्र संख्या–30
2. एम.ए.पूर्वाद्ध — समाजशास्त्र
3. एम.एस.सी.पूर्वाद्ध (कम्प्यूटर साइंस) — छात्र संख्या–20

<u>अस्थाई सम्बद्धता सत्र 2007–2008 हेतु निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है ।</u>

<u>शर्ते :–</u>

(1) आपको अस्थाई सम्बद्धता आगामी सत्र 2008–2009 हेतु उच्च शिक्षा विभाग के अनुमति पत्र एवं निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा ।

(2) आपको विश्वविद्यालय परिनियम एवं परीक्षा अध्यादेश क0 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं ।

(3) महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा ।

(4) अतिरिक्त संचालक,आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा निर्धारित शर्तो की भी प्रतिपूर्ती करना होगी ।

आदेशानुसार,
उप–कुलसचिव(अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल

पृ0 क्रमांक 1294 /अका./सम्बद्धता/07 भोपाल,दिनांक: 11/8/8

प्रतिलिपि :–

1– अतिरिक्त संचालक,आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग,सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
2– अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3– आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग,सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
4– कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय) शाखा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल ।
5– कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक,संचालक,शारी.शिक्षा,अधि.छा.क.,समन्वयक,रा.से.यो. बरकतउल्ला वि.वि.भोपाल

सहा0कुलसचिव(अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल

D:\jagram\Jhaji-09.doc

60

PRINCIPAL
Govt. Degree College
Timarni (HARDA)

Signature valid JINENDRA KUMAR JAIN

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

क्रमांक 2498 /अकादमी/संबद्धता/2014 भोपाल, दिनांक

प्रति,

प्राचार्य

शास. महाविद्यालय, टिमरनी,

जिला हरदा

विषयः–सत्र 2014–15 में अस्थाई संबद्धता प्रदान करने विषयक ।

महोदय,

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक. 91/2 दि. 25.01.2014 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 13.10.2014 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की ओर से 15(4) में कुलपति जी के अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय को प्रदर्शित शर्तो के आधार पर निम्नलिखित पाठ्यकमों :-

1. बी.ए. भाग–2 कम्प्युटर एप्लीकेशन, 60 छात्र संख्या
2. बी.बी.ए. भाग–2 60 छात्र संख्या

अस्थाई संबद्धता सत्र 2014–15 के लिए प्रदान की जाती है।

शर्तेः–

1. प्रदत्त अस्थाई संबंद्धता में निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2015–16 के लिये उच्च शिक्षा विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित सम्बद्धता शुल्क, निरीक्षण निर्धारित आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय मे प्रस्तुत करना होगा ।
2. आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27, 28 एवं परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 का पालन करना होगा ।
3. आपको संबंधित विषयों के समुचित अध्ययन / अध्यापन हेतु पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकों की व्यवस्था करनी होगी ।
4. महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
5. म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो की भी प्रतिपूर्ति करना आवश्यक होगा ।

Urgent
Urgent

24.12.14

आदेशानुसार

उप–कुलसचिव, अकादमी

पृ0कमांक 2499 /अकादमी/संबंद्धता/2014 भोपाल, दिनांक 25-11-2014

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल ।
2. अपर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक संचालक, शारी0शिक्षा, अधि.छा.कल्याण,बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

उप-कुलसचिव, अकादमी

PRINCIPAL
Govt. Degree College
Timarni (HARDA)

Kiran22

Signature valid JINENDRA KUMAR JAIN

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1395/अकादमी/संवद्धता/2013 भोपाल, दिनांक 13-6-13

प्रति,

प्राचार्य / सचिव

Govt. College

Timarni

विषय-सत्र 2013-14 में अस्थाई संवद्धता प्रदान करने विषयक ।

महोदय

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक. 210 दिनांक 28-2-13 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16.05.13 में लिए गए निर्णय तथा कुलपति जी को प्रदत्त शक्ति 15(4) के अन्तर्गत अनुमोदन एवं कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठयकमों में अस्थाई संवद्धता सत्र 2013-14 के लिए निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है:-

1. B.A.I Computer 60 (Sixty)
2. B.B.A. I 60 (Sixty)
3. ....

शर्तें:-

1. प्रदत्त अस्थाई संवद्धता में निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2014-15 के लिये उच्च शिक्षा विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित सम्वद्धता शुल्क, निरीक्षण शुल्क एवं निर्धारित आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय मे प्रस्तुत करना होगा ।
2. आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27,28 एवं परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 का पालन करना होगा ।
3. आपको विषय से संबंधित योग्य शिक्षकों की नियमित नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम कोड-28 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत तीन माह मे पूर्ण करनी होगी ।
4. आपको संबंधित विषयों के समुचित अध्ययन / अध्यापन हेतु पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकों की व्यवस्था करनी होगी ।
5. शासी निकाय की नियमित बैठकों का आयोजन कर प्रतिवेदन विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा ।
6. महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
7. म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों की भी प्रतिपूर्ति करना आवश्यक होगा । जिसमें भूमि भवन संबंधित अभिलेख की जानकारी संलग्न करनी होगी।
8. उपरोक्त शर्ते पूर्ण न होने पर विश्वविद्यालय परिनियम 27 के तहत सम्वद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।

नोट:- महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड 28 के तहत पूर्ण कर उनके नियुक्ति आदेश/कार्यभार पत्र आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करें ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ0कमांक 1396 अकादमी/संवद्धता/2013 भोपाल, दिनांक 13-6-13

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. अपर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक संचालक, शारी0शिक्षा, अधि.छा.कल्याण,बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
5. वेब-साईट प्रभारी, इस आशय के साथ कि संबंधित जानकारी बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की वेब-साईट पर प्रदर्शित करें ।

कुलसचिव

PRINCIPAL
Govt. Degree College
Timarni (HARDA)

21

Signature valid JINENDRA KUMAR JAIN

BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

No..4294../Acad./Affi./2015 Date: 20/05/15

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that **Govt. Degree College,** Timarni, Distt. Harda, Madhya Pradesh is affiliated to the Barkatullah University since **1983** and the following Courses/ subjects are taught in the said college.

S.N.	Name of Course	Affiliation		Period of Validity for the years
		Permanent	Temporary	
1	B.A. Three year F.C. Hindi, Socilogy, Pol. Sc. Economics,	Permanent		1995 to tilldate
2	B.Sc. Physics, Chemistry, Matahmatics, Botany, Zoology	Permanent		-- -
3	B.Com. . Three year All Compulsory papers	Permanent		------
4	B.Com. Computer Appl.		Temporary	------
5	B.Sc. Computer Sc.		Temporary	------
6	M.A. F. Eco., Pol Sc. Sociology		Temporary	
6	M.Com. F		Temporary	------
7	M.Sc. F. Computer Science, Two Year		Temporary	------
8	BCA III		Temporary	------
9	BA II Computer Appl.		Temporary	------
10	BBA II		Temporary	------

Affiliation given to this college and it's courses, is valid as on date of issue of this letter.

Registrar
(With seal and Signature)

Registrar
Barkatullah University
Bhopal (M.P.)

शास. स्नातक महाविद्यालय
टिमरनी (हरदा)
क्रमांक 225 दि. 21/5/15

Signature valid JINENDRA KUMAR JAIN

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 708/484/आउशि/शा–5/2018 भोपाल, दिनांकः 18 अगस्त, 2018

प्रति,

प्राचार्य/सचिव, जनभागीदारी समिति,
समस्त शासकीय महाविद्यालय, म.प्र.

विषयः **शैक्षणिक सत्र 2018–19 अंतर्गत पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत्।**

संदर्भः कार्यालय, आयुक्त, उच्चशिक्षा का पत्र क्र. 680/484/आउशि/शाखा–5/2018, दि. 11.8.2018

––0––

विषयान्तर्गत संदर्भित बाबत् लेख है कि कतिपय शासकीय महाविद्यालयों द्वारा यह पृच्छा की गई है कि कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा के संदर्भित आदेश क्र. 680/484/आउशि/शाखा–5/2018, दिनांक 11.8.2018 के तहत दिये सीट संख्या में वृद्धि, क्या परम्परागत पाठ्यक्रमों के साथ–साथ जन भागीदारी के पाठ्यकमों में लागू है ?

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश में दिये प्रावधान जनभागीदारी मद से संचालित पाठ्यकमों हेतु भी लागू है अर्थात विद्यार्थियों के हित में सी.एल.सी. द्वितीय चरण के सीट आवंटन से पूर्व महाविद्यालयों में प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत 2018–19 की कंडिक 4.1 के अनुक्रम में सीट संख्या में परिवर्तन हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है–

1. शासकीय महाविद्यालय सामान्यतः आवश्यकतानुसार 10% सीट संख्या में वृद्वि कर सकेंगे।
2. 25% तक सीट संख्या विशेष परिस्थितियों जैसे अत्यधिक संख्या में विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश आवेदन प्राप्त होने तथा महाविद्यालय में पर्याप्त स्थान एवं शिक्षण व्यवस्था होने पर ही की जा सकेगी।
3. सीट वृद्वि निम्न शर्तो पर की जा सकेगी –
   - जनभागीदारी समिति से निम्न कार्य हेतु आवश्यक अनुमति एवं राशि प्राप्त की जाना सुनिश्चित की जाए।
   - महाविद्यालय मे अधोसंरचना/कक्ष/प्रयोगशाला/पुस्तकालय की पर्याप्त सुविधा।
   - शिक्षण हेतु प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/अतिथि व्याख्याता की पर्याप्त व्यवस्था।
   - परीक्षा संचालन हेतु समुचित सुविधा।
   - समस्त सीट वृद्वि की मान्यता संबंधित विश्वविद्यालय से समय सीमा में प्राप्त करना प्राचार्य का दायित्व होगा।
   - सीट वृद्वि निर्णय की सूचना संचालनालय को भी दी जाये।
   - सी.एल.सी. चरण समाप्त होने के पूर्व सीट वृद्वि की कार्यवाही पूर्ण कर छात्रों को नियमानुसार प्रवेश सुनिश्चित करे।

18/08/18
(अजीत कुमार)
आयुक्त/सचिव
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

Principal
Govt. Degree College
TIMARNI (HARDA)M.P

Signature valid JINENDRA KUMAR JAIN

पृ क्रमांक 709/484/आउशि/शा–5/2018 भोपाल, दिनांकः 18 अगस्त, 2018

प्रतिलिपिः

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन।
2. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा मंत्रालय, भोपाल।
3. सतस्त कुलसचिव परपंरागत विश्वविद्यालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।
4. अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति, समस्त शासकीय महाविद्यालय, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।
6. आई.टी. प्रभारी उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

............की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

18/08/18

आयुक्त/सचिव

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

Principal

Govt. Degree College

TIMARNI (HARDA)M.P

Seet Elotment 2018–19

Signature valid JINENDRA KUMAR JAIN

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 680/484/आउशि/शा–5/2018
प्रति,

भोपाल, दिनांकः 11 अगस्त, 2018

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय, म.प्र.

विषयः **शैक्षणिक सत्र 2018–19 अंतर्गत परंपरागत पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि बाबत्।**

––0––

विषयान्तर्गत बाबत् लेख है कि कतिपय शासकीय महाविद्यालयों द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि महाविद्यालय में अधिक सीट संख्या में आवेदकों द्वारा सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। अतः विद्यार्थियों के हित में सी.एल.सी. चरण के आवंटन से पूर्व महाविद्यालयों में प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत 2018–19 की कंडिक 4.1 के अनुक्रम में सीट संख्या में परिवर्तन हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है–

1. शासकीय महाविद्यालय सामान्यतः आवश्यकतानुसार 10% सीट संख्या में वृद्वि कर सकेंगे।
2. 25% तक सीट संख्या विशेष परिस्थितियों जैसे अत्यधिक संख्या में विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश आवेदन प्राप्त होने तथा महाविद्यालय में पर्याप्त स्थान एवं शिक्षण व्यवस्था होने पर ही की जा सकेगी।
3. सीट वृद्धि निम्न शर्तो पर की जा सकेगी –
   - महाविद्यालय में अधोसंरचना/कक्ष/प्रयोगशाला/पुस्तकालय की पर्याप्त सुविधा।
   - शिक्षण हेतु प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/अतिथि व्याख्याता की पर्याप्त व्यवस्था।
   - परीक्षा संचालन हेतु समुचित सुविधा।
   - समस्त सीट वृद्वि की मान्यता संबंधित विश्वविद्यालय से समय सीमा में प्राप्त करना प्राचार्य का दायित्व होगा।
   - सीट वृद्वि निर्णय की सूचना संचालनालय को भी दी जाये।
   - सी.एल.सी. चरण समाप्त होने के पूर्व सीट वृद्वि की कार्यवाही पूर्ण कर छात्रों को नियमानुसार प्रवेश सुनिश्चित करें।

(अजीत कुमार)
आयुक्त/सचिव
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ क्रमांक 681/484/आउशि/शा–5/2018

भोपाल, दिनांकः 11 अगस्त, 2018

प्रतिलिपिः

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन।
2. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त कुलसचिव परपंरागत विश्वविद्यालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।
5. आई.टी. प्रभारी उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

............की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

आयुक्त/सचिव
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

Seet Elotment 2018–19

Principal
Govt. Degree College
Signature valid JINENDRA KUMAR JAIN